बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,

खाद्य भवन,दरोगा प्रसाद राय,पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0-2-पटना।

पत्रांकः-02:15:17(अधि0)2017-1507 दिनांक- 12-02-2018

प्रेषक,

महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)
मुख्यालय,पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबन्धक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः- **खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 अन्तर्गत पैक्सों/व्यापारमंडलों को उनके द्वारा प्राप्त अग्रिम सी0एम0आर0 के विरूद्ध राशि की प्रतिपूर्ति करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः- निगम मुख्यालय का पत्रांक-12212 दिनांक-01.12.17 एवं 12586 दिनांक-12.12.2017

महाशय,

ज्ञातव्य है कि सरकार के निदेशानुसार पंजीकृत किसनों से धान कय करना एवं अग्रिम सी0एम0आर0 जमा करने का दायित्व पैक्सों/व्यापारमंडलों को सौंपा गया है। धान कय करने की अन्तिम तिथि 31.03.2018 एवं सी0एम0आर0 जमा/प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31.07.2018 निर्धारित है। पैक्सों/व्यापारमंडलों द्वारा सी0एम0आर0 जमा करने की प्रकिया प्रारंभ कर दी गई है। **ध्यान रहे कि सी0एम0आर0 की प्राप्ति के पश्चात् इसकी अनिवार्य रूप से ऑनलाईन प्रविष्टी सुनिश्चित की जायगी।**

उल्लेखनीय है कि निगम मुख्यालय के पत्रांक-12212 दिनांक-01.02.2017 से निर्गत दिशा निदेश के कंडिका-'क' में यह स्पष्टतया उल्लेखित है कि जिला कार्यालय द्वारा Acceptance Order निर्गत करने के पूर्व धान कय से संबंधित पैक्सों/व्यापारमंडलों से प्राप्त सभी कागजातों यथा मिल के साथ एकरारनामा, किसानों के भुगतान सम्बन्धी एडवाईस, बैंक विवरणी, प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र एवं मिल को प्राप्त कराये गये धान से संबंधित आर0टी0 नोट (प्रथम अग्रिम सी0एम0आर0 को छोड़कर) की जाँच अनिवार्य रूप से कर ली जाय एवं तत्पश्चात ही Acceptance Order; जिसमें विनिर्दिष्ट अधिसूचित गोदाम का उल्लेख हो,का निर्गमन सुनिश्चित की जाय। सी0एम0आर0 गोदाम पर सी0एम0आर0 गोदाम प्रभारी द्वारा Acceptance Order के आधार पर सी0एम0आर0 प्राप्त करने के पूर्व सी0एम0आर0 का ट्रक चालान, यदि धान का ट्रक चालान जिला कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया हो, तो संबंधित धान का ट्रक चालान प्राप्त कर निर्धारित मानक के अनुरूप सी0एम0आर0 की प्राप्ति सुनिश्चित की जायगी। सी0एम0आर0 प्राप्त करने के पश्चात् विपत्र के साथ उनके द्वारा संलग्न Acceptance Note-cum-Anlysis Report एवं वजन तालिका आदि के विधिवत् जाँचोपरांत भौतिक रूप से प्राप्त सी0एम0आर0 के विरूद्ध RTGS /NEFT के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जायगा।

ज्ञातव्य है कि पैक्सों /व्यापारमंडलों को उनके द्वारा जमा सी0एम0आर0 के विरूद्ध राशि की प्रतिपूर्ति हेतु सभी जिलों को यथापेक्षित राशि का C.C.Limit उपलब्ध करा दी गई है।

अतः विषयवस्तु की महत्ता को गम्भीरपूर्वक दृष्टिपथ रख पुनः अनुरोध है कि निगम मुख्यालय के पत्रांक–12212 दिनांक–01.12.17 एवं 12586 दिनांक–12.12.17 में सन्निहित दिशा निर्देश के आलोक में पैक्सों/व्यापारमंडलों द्वारा जमा अग्रिम सी0एम0आर0 के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त विपत्र के विरूद्ध विधिवत् जॉचोपरांत निर्धारित समय सीमान्तर्गत राशि की प्रतिपूर्ति करना सुनिश्चित किया जाय। ससमय राशि की प्रतिपूर्ति होने से चक्रीय व्यवस्थान्तर्गत अधिकाधिक मात्रा में धान क्रय/सी0एम0आर0 की जमा/प्राप्ति संभव हो सकेगा।

विश्वासभाजन,

12/2

महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)

ज्ञापांकः–02:15:17(अधि0)2017– 1507 दिनांक–.12-02-2018

प्रतिलिपिः–परियोजना प्रबन्धक,4जी आईडेन्टीटी सॉल्यूशन, मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी,बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–संयुक्त निबंधक(मु0)सहयोग समितियाँ, सहकारिता विभाग, बिहार,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रबन्ध निदेशक कोषांग, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

12/2

महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।

RCM-12-02-18